

गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय और कार्य : 428/2, फेस-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ कारपोरेट कार्यालय: हीरा आर्केड, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

सीआईएनः L27106CT1999PLC013756, दूरभाषः 0771-4082000, फैक्सः 0771-4057601, वेबसाइटः www.godawaripowerispat.com ईमेलाः yarra.rao@hiragroup.com

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशो के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशो जिसके लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षो से (वित्तीय वर्ष 2011-12 से) लाभांश अदत्त है एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पते पर पत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून 2019 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.godawaripowerispat.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशो और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशो का निरिक्षण करे।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशो पर अर्जित सभी लाभों सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अत: नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों जो, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशो के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र के बदले डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दे कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशो के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

विष्णा का व्यान में रखा जाए आर उस पंचार नाटिस समझा जाएगा। यदि 29 सितंबर, 2019 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशो के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशो को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशो के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in एवं rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशो का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ -5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in.पर उपलब्ध है।

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड हस्ता.

वाय.सी.राव. कंपनी सचिव

रायपुर, 29 जून 2019



GODAWARI POWER & ISPAT Corporate Office: Hira Arcade, Near Bus Stand, Pandri, Raipur 492004 (C.G.)

Website: www.godawaripowerispat.com E mail: yarra.rao@hiragroup.com CIN No.: L27106CT1999PLC013756, Tel : 0771-4082000 Fax : 0771-4057601

NOTICE -TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND

The notice is being published pursuant to the provisions of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) and amendment thereof.

The rules inter-alia contains provision for transfer of shares in the name of Investors Education Protection Fund (IEPF) in respect of which dividend has not been paid or claimed by shareholders from seven consecutive years from FY 2011-12. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually the concerned shareholders through letters dated 29th June 2019, whose Equity Shares and Unclaimed/Unpaid Dividend for FY 2011-12 are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate actions.

Further in terms of Rules 6 (3) of the Rules, our company has updated the full details of such shareholders and shares due for transfers to IEPF on its website at www.godawaripowerispat.com, shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF.

Shareholders may note that the both unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back by them from IEPF authority after following the procedure prescribed by rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of original share certificates held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the rules and upon such issue, the original share certificates which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholder may further note the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from shareholders by 29th September, 2019 or such other dates as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the rules, transfer the shares to IEPF by the due date as per procedure stipulated in the rules. Please note that the no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF.

In case shareholders have any query on the subject matter, they may contact the registrar and transfer agent at M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel No.: (022) 49186270, e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in website www.linkintime.co.in

In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF authority in form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.

For Godawari Power & Ispat Limited Sd/-

Y.C. Rao, Company Secretary

Raipur, 29th June, 2019

Khanna Advt.